



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 25.02.2023

- अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा कुछ ही घण्टों के अन्दर लूट की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- अभियुक्त से लूट के 6500/- रुपये, घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल व 01 किलो अवैध मादक पदार्थ(गांजा) किया गया बरामद।
- अनुमानित कीमत- करीब 1,76,500 रुपये।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 24.02.2023 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 63/2023 धारा 392/411 भा0द0वि0 बनाम 02 नफर अभियुक्त अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त छोटुआ कंजड़ पुत्र बदन सिंह निवासी ग्राम मंगलपुर डेरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष को गोल्ड भट्टा के पास वहद ग्राम पातेपुर से मय लूटी हुई नकदी 6500 रूपये, घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल व 01 किलो अवैध मादक पदार्थ(गांजा) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.02.2023 की शाम को हम लोग मो0सा0 अपाचे से घूम रहे थे। जिसको राहुल पुत्र लालजी निवासी आजादनगर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात लेकर आया था तथा उसी के साथ मिल कर इधर उधर लूट करने के उद्देश्य से घूम रहे थे मो0सा0 मै स्वयं चला रहा था एवं राहुल पीछे बैठा था शिकार की तलाश करते करते करीब समय 5.30 बजे नवीपुर की तरफ से लालपुर की तरफ जा रहे थे तो बदन नाम गुजिया होटल के पास झांसी रोड की तरफ एक व्यक्ति खड़ा था जिसके पास पहुंच कर हम लोगो ने राम राम करके उसकी तलाशी लेकर उसकी जेब से 10 हजार रुपये लूट लिये, तथा उस व्यक्ति के शोर मचाने पर हम लोग वहां से पातेपुर गोल्डन भट्टा के तरफ जाकर छुप कर बैठ गये थे एवं रुपये का आपस में बटवारा कर रहे थे कि तभी पुलिस आ गयी, जिसे देखकर राहुल मौके से भाग गया मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 64/2023 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- छोटुआ कंजड़ पुत्र बदन सिंह निवासी ग्राम मंगलपुर डेरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

- मु0अ0सं0 486/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मंगलपुर कानपुर देहात
- मु0अ0सं0 487/2017 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मंगलपुर कानपुर देहात
- मु0अ0सं0 160/2019 धारा 308/323/325/504 भा0द0वि0 थाना मंगलपुर कानपुर देहात
- मु0अ0सं0 63/2023 धारा 392 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
- मु0अ0सं0 64/2023 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात

बरामदगी-

- 01 किग्रा गांजा,
- 01 अदद मोटर साइकिल अपाचे,
- लूटे गये 6500/- रुपये।

गिरफ्तार करने वाली थाना अकबरपुर पुलिस टीम-

- उ0नि0 संजीव कुमार चौकी प्रभारी जैनपुर थाना अकबरपुर
- हे0का0 465 योगेन्द्र सिंह चौकी लालपुर
- हे0का0 580 सतीश चन्द्र चौकी लालपुर
- का0 875 अजीत सिंह चौकी जैनपुर